

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) राजस्व/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, कानूनगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशों के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त भी जा सकती है ।

मकान डिप्लोमा केवल आवासीय उपयोगार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 696 दिनांक 03/09/2020

जी +  
आवासीय

राधिका श्रीमती किरण गांधी पता श्री भगवान जी गांधी  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
 धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय P. No = 54 खम्बरा संख्या  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश न-75/112, ग्राम जोधपुर  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा  
 करिये रसीद संख्या 2069/4369, 4370  
 दिनांक 03/09/2020 को जमा करा दी है ।

908  
7/9/2020

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

Office A/c  
6967025339